बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5J6712 /   पटना, दिनांक 8/11/2018

ग्रा0वि0 15 स्वच्छता -18/2016(खण्ड)

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०,

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना (AIP) 2018-19 में बेसलाईन सर्वे (2012-13) से छुटे हुये (Left out of Baseline Survey-LOB)परिवारों को जोड़ने के संबंध में।**

प्रसंग: **संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11019/07.08.2018 तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का पत्रांक BRLPS/400/08.08.2018.**

महाशय,

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 का अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना (AIP) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है, जिसमें बेस लाईन सर्वे (2012-13) में छुटे हुए परिवारों (जिन्हें शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी) को जोड़ा जायेगा।

2. इसके लिए आवश्यक है कि जिले के बेस लाईन सर्वे(2012-13) से छुटे हुए वैसे परिवार जिन्हें शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी; का आकलन कर कुल संख्या (APL एवं BPL कोटिवार अलग-अलग) राज्य को प्रतिवेदित किया जाए। इस क्रम में यह ध्यान रखा जायेगा कि इस हेतु कोई नया सर्वे नहीं किया जाय एवं नए परिवारों को नहीं जोड़ा जाए, बल्कि सिर्फ बेस लाईन सर्वे (2012-13) में छुटे हुए वैसे परिवारों जिन्हें शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, को ही प्रतिवेदित किया जाए।

3. ध्यातव्य है कि लोहिया स्वच्छ बिहारअभियान अन्तर्गत सभी जिलों द्वारा Open Defecation Elimination Plan(ODEP) तैयार किया गया है जिसमें वास्तविक परिवार(HH) का नाम दर्ज किया गया है एवं तद्नुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के IMIS में भी सुधार किया गया है। यह संभव है कि अभी भी वैसे परिवार (HH) हो जिन्हें ODEP में तो सम्मिलित कर लिया गया है, परन्तु IMIS में दर्ज नहीं किया जा सका है या वैसे परिवार (HH) भी हो जिन्हें ODEP में भी सम्मिलित नहीं हो। अत: सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी परिवार (HH) जो बेस लाईन सर्वे में दर्ज नहीं हो उन्हें इस LOB सूची में अवश्य दर्ज कर लिया जाए।

4. बेस लाईन सर्वे (2012-13) से छुटे हुए परिवारों को चिन्हित किये जाने के उपरांत सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा जिला स्तर पर समिति का गठन कर न्यूनतम 2 प्रतिशत परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जाए। तत्पश्चात् इसे जिला जल स्वच्छता समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समेकित संख्या को (जिला,प्रखण्ड,ग्राम पंचायत वार) राज्य को सम्प्रेषित किया जाए।

5. राज्य में पूर्व से ही बेस लाईन सर्वे (2012-13) के आधार पर जिले में तैयार वास्तविक ODEP के अनुसार LOB परिवारों को edit कर IMIS में नाम दर्ज किया जा रहा था, अत: यह संभावना है कि जिलों में वैसे परिवारों (HH) की संख्या काफी कम होगी। फिर भी जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इसकी समीक्षा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के साथ करने के उपरांत वास्तविक छुटे हुये परिवारों की संख्या राज्य को संसूचित की जाए।

6. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा बेस लाईन सर्वे (2012-13) से वैसे छुटे हुए परिवारों की प्रविष्टि हेतु IMIS पर J-01एवं J-02 मॉड्यूल दिया गया है। जिसमें संबंधित जिलों द्वारा प्रविष्टि करने की अंतिम तारीख 30.11.2018 निर्धारित है।

उपरोक्त निदेश के आलोक में जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बेस लाईन सर्वे (2012-13) में छुटे हुये परिवारों को अनुपूरक AIP में जोड़ना सुनिश्चित किया जाए ताकि आवश्यक राशि कर्णाकित की जा सके। अनुपुरक AIP तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

अत: निदेश है कि उपरोक्त के आलोक में अनुपुरक AIP (2018-19) तैयार कर समेकित संख्या के संबंध में राज्य को संसूचित किया जाए तथा IMIS पर मॉड्यूल J-01एवं J-02 में 30.11.2018 तक प्रविष्टि सुनिश्चित कराई जाए।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/11/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव।

ज्ञापांक 3967/2 / पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त –सह – उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

8/11/2018

सचिव।

ज्ञापांक 3967/2 / पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि – मिशन निदेशक –सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सचिव। 8/11/2018